अध्याय XXII : शहरी विकास मंत्रालय

22.1 समापन-सह-अधिभोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति न होने के कारण वित्तीय हानि

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी), द्वारका, नई दिल्ली के स्टाफ क्वार्टरों हेतु समापन सह अधिभोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने के परिणामस्वरूप उनके निर्माण पर किया गया ₹2.81 करोड़ का व्यय व्यर्थ सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त क्वार्टरों के अनुरक्षण तथा निगरानी तथा एचआरए के भुगतान पर ₹0.88 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया गया तथा ₹1.53 करोड़ राशि के लाइसेंस शुल्क की भी प्राप्ति नहीं हुई थी।

दिल्ली संघ शासित क्षेत्र भवन उप नियम, 1983, के खण्ड 7.5.1 के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, कोई व्यक्ति जब तक उसे अधिभोग प्रमाणपत्र उस भवन या उसके भाग के लिए नहीं मिल जाता है, तब तक किसी उद्देश्य हेतु किसी अन्य व्यक्ति को कोई भवन या भवन के किसी भाग को अधिकृत करने की अनुमति नहीं देगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मालिक को, भवन परमिट में वर्णित निर्माणकार्य समापन के संबंध में डीडीए को भवन के समापन कार्य का एक नोटिस प्रस्तुत करना होगा।

सीपीडब्ल्यूडी ने भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के लिए 57 क्वार्टरों का निर्माण किया और उसके लिए ठेकेदार को ₹2.81 करोड़ का भुगतान किया। निर्माण कार्य जो जनवरी 2005 में पूर्ण होना नियत था, वास्तव में अक्तूबर 2009 में पूर्ण किया था।

संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- डीडीए से समापन सह अधिभोग प्रमाणपत्र अभी प्राप्त होना था (जनवरी 2017)। इससे आईएमडी के स्टाफ को क्वार्टरों का आबंटन करने में बाधा आई।

- आईएमडी ने, डीडीए से समापन सह अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को बार-बार अनुरोध किया (अक्तूबर 2009 से सितम्बर 2013 तक)।

- सीपीडब्ल्यूडी ने डीडीए को समापन सह अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए यह बताते हुए लिखा (जनवरी 2010) कि उसने सुसंगत दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र दिसम्बर 2009 में जमा कर दिया था। डीडीए ने सीपीडब्ल्यूडी को सूचित किया (मार्च 2010) कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्बन कॉपी आरेखणों के पूर्ण सैट तथा अपेक्षित शुल्क प्रस्तुत किए जाएं।

- सीपीडब्ल्यूडी ने, डीडीए को यह बताते हुए लिखा (मई 2010 तथा जून 2010) कि समापन सह अधिभोग प्रमाण जारी करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज संलग्न कर दिए थे। प्रत्युतर में, डीडीए ने सीपीडब्ल्यूडी को सूचित किया (अप्रैल 2011) कि उन्होंने केवल दिल्ली जल बोर्ड/दिल्ली नगर निगम को केवल सेवा योजनाएं ही भेजी थी तथा समापन सह अधिभोग प्रमाणपत्र हेतु अनुरोध उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं किया गया था।

- सीपीडब्ल्यूडी ने, समापन सह अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने हेतु डीडीए में विभिन्न दस्तावेज पुन: प्रस्तुत किए (दिसम्बर 2011)। प्रत्युत्तर में डीडीए ने प्रस्तुत आवेदनपत्र में पाई गई कमियों, जिसमें समापन/प्रक्रिया शुल्क जमा कराने में विफलता, अपूर्ण दस्तावेज जैसे आरेखण सैट, दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) प्रपत्र, बाह्य समाप्ति प्रमाणपत्र विचलन प्रमाणपत्र, फॉर्म बी-3 आदि का प्रस्तुतीकरण तथा मॉडल फोटोसैट, मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अनुमोदित सेवा योजनाओं, वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) तस्वीरों तथा आवेदन सहित वास्तुकार द्वारा सत्यापित संस्वीकृत आरेखणों के पूर्ण सैट जैसे दस्तावेजो का प्रस्तुतीकरण न किया जाना शामिल था, के संबंध में सीपीडब्ल्यूडी को सूचित किया (जून 2012)।

- डीडीए को दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति पर लेखापरीक्षा द्वारा पूछताछ करने पर सीपीडब्ल्यूडी ने सूचित किया (नवम्बर 2015) कि डीडीए की वांछनीयता के अनुसार जून 2012 में अपेक्षाओं का अभी अनुपालन किया जाना था क्योंकि संबंधित मंडल का अन्य निर्माण कार्यों में शामिल होने तथा परियोजना से संबंधित पुराने अभिलेखों को ढूंढने का एक भारी कार्य था। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अप्रैल 2016 तक इन कमियों को पूरा नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि डीडीए को दस्तावेजों को प्रस्तुतीकरण तथा औपचारिकताएं उनकी ओर से लम्बित थे।

- यह पाया गया था कि सीपीडब्ल्यूडी ने, भवन उपनियम 1983 के प्रावधानों का उल्लंघन करके डीडीए से समापन सह अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना आईएमडी को 17 क्वार्टर सौंप दिए थे (मार्च 2014)। इन 17 क्वार्टरों में से 13 क्वार्टर आईएमडी के कर्मचारियों को आबंटित किए थे।

सीपीडब्ल्यूडी ने आगे बताया (जनवरी 2017) कि समापन-सह-अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उन्होंने डीडीए के साथ बहुत प्रयास किया था लेकिन डीडीए ने उसे जारी नहीं किया। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि जनवरी 2017 तक 21 क्वार्टर आईएमडी के स्टाफ द्वारा अधिकृत किए गए थे तथा सभी दस्तावेज डीडीए को 3 जनवरी 2017 को पुन: प्रस्तुत किए गए हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी ने, समापन सह अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अपेक्षित सभी दस्तावेज डीडीए को शीघ्र प्रस्तुत नहीं किए थे जिसके परिणामस्परूप समापन सह अधिभोग प्रमाणपत्र निर्माण समाप्त होने के पश्चात सात वर्षों से अधिक समय तक अभी भी प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा इस मुद्दे का निरूत्साहपूर्ण निपटान करने से न केवल ₹2.81 करोड़ की लागत पर निर्मित परिसम्पत्तियां व्यर्थ पड़ी रही बल्कि आईएमडी के स्टाफ को रिहायशी आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य को भी प्राप्त नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त 2009-10 से 2015-16 तक इन क्वार्टरों के अनुरक्षण तथा निगरानी पर ₹ 0.88 करोड़ का व्यय भी किया गया

था। इससे आईएमडी के स्टाफ को एचआरए के भुगतान के प्रति ₹1.53 करोड़ (वेतनमान में न्यूनतम वेतन के आधार पर परिकलित) का परिहार्य व्यय भी हुआ तथा 31 मार्च 2016 तक लाइसेंस शुल्क की प्राप्ति भी नहीं हुई।

मंत्रालय को सितम्बर 2016 में इस मामले की सूचना दी गई, जनवरी 2017 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

केन्दीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)

22.2 विभागीय प्रभार वसूल करने में विफलता के कारण हानि

करेंसी नोट प्रैस तथा इंडिया सिक्योरिटी प्रैस, नासिक हेतु निर्माण कार्यों पर विभागीय प्रभारों की वसूली में सीपीडब्ल्यूडी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹0.59 करोड़ के राजस्व का कम संग्रहण हुआ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) नासिक केन्द्रीय मंडल ने मार्च 2014 तथा मार्च 2016 के बीच करेंसी नोट प्रैस (सीएनपी) और इंडिया सिक्योरिटी प्रैस (आईएसपी) हेतु ₹4.94 करोड़ के मूल्य पर विभिन्न निर्माण के कार्यों का दायित्व लिया। सीएनपी तथा आईएसपी भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा टकसाल निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल), एक केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम के भाग हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीपीडब्ल्यूडी 12 प्रतिशत (अर्थात ₹0.59 करोड़) के विभागीय प्रभार जो सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के पैराग्राफ 12.1 की शर्तों के अनुसार उदग्राहय था, वसूल करने में विफल रहा।

सीपीडब्ल्यूडी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि आईएसपी ने सूचित किया था कि वह पूर्णत: भारत सरकार (जीओआई) के स्वामित्व में है तथा जीओआई के प्रभुसत्ता कार्यों के अतिरिक्त न व्यापार या वाणिज्यिक क्रियाकलाप का निष्पादन नहीं करता है; जबकि सीएनपी ने बताया था कि उसको औपचारिक रूप से एसपीएमसीआईएल में स्थानांतरित नहीं किया गया था और वह जीओई का ही भाग रहा है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि नियमों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णत: निधिबद्ध केवल केन्द्रीय सरकार या स्वायत निकायों को ही विभागीय प्रभारों को भुगतान करने से छूट प्राप्त है तथा आईएसपी और सीएनपी, जो कि (एसपीएमसीआईएल), भारतीय

कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक कम्पनी है, एसपीएमसीआईएन के भाग हैं, को छूट प्राप्त नहीं है,

मामला अगस्त 2016 में मंत्रालय को भेजा गया था, तथा उनका उत्तर जनवरी 2017 को प्रतीक्षित था।

22.3 ठेकेदार को अनुचित लाभ

संविदा शर्तों का उल्लंघन करके केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार को ₹0.56 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अलीगंज, नई दिल्ली में पर्यावरण और वन मंत्रालय के लिए एक नए भवन का निर्माण कार्य ₹86.97 करोड़ की लागत पर एक ठेकेदार को सौंपा (जनवरी 2011)। निर्माण कार्य नवम्बर 2013 में पूर्ण हो गया था।

अनुबंध के एक भाग "परिमाण सूची" के पैरा 1.6.1 की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को, जैसाकि अपेक्षित था, पम्प से पानी बाहर निकालने सहित पानी या पानी के नीचे तथा/या तरल कीचड़ के कारण 22,960 क्यूबिक मीटर (सीयूएम) की मात्रा हेतु ₹22.96 लाख का भुगतान करना था। अनुबंध के भाग के 'अतिरिक्त विनिर्देशनों' के पैरा 1.4 में बताया गया था कि ठेकेदार स्थल का निरीक्षण करेगा और निष्पादन के समय सामना कर सकने वाले अवमृदा जल स्तर के बारे में अपना स्वयं निर्धारण करेगा और तदनूसार अपनी दरें उद्धत करेगा। सभी मदों की दर में पानी बाहर निकालना या पानी छोड़ना, यदि अपेक्षित हो, आदि शामिल है। ठेकेदार को किसी भी स्थिति में इसके प्रति किसी भी अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 1,41,119.88 सीयूएम मात्रा के पानी को पम्प द्वारा निकालने के लिए ठेकेदार को कार्य निष्पादन के दौरान ₹79.25 लाख का भुगातन किया गया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹0.56 करोड़ की सीमा तक अनुचित लाभ हुआ।

सीपीडब्ल्यूडी ने, उत्तर में बताया (जून 2016) कि अवमृदा जल स्तर का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं था तथा इसका वास्तव में नींव की खुदाई के दौरान ही पता लगाना था तथा ढांचे की संरचनात्मक मजबूती के लिए पम्प द्वारा पानी निकालना अत्यन्त आवश्यक था। विचलन के कारणों पर विचार

किया गया था तथा तदनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्रशासनिक अनुमोदन तथा संशोधित अनुमानों हेतु व्यय संस्वीकृति प्राप्त की गई थी (मई 2014)।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ठेकेदार को पम्प द्वारा पानी बाहर निकालने की अपेक्षाओं का निर्धारण करने के पश्चात ही अपनी दरें उद्धत करना अपेक्षित था तथा इसके प्रति उसको और कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाना था। इन भिन्न-भिन्न शर्तों के कारण, सीपीडब्ल्यूडी ठेका सौंपने में प्रतियोगी शर्तों को सुनिश्चित करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, संशोधित अनुमानों हेतु प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति प्राप्त करने से संविदात्मक प्रावधानों जो दोनों पार्टियों के बीच बाध्यता थी, का अमान्यकरण नहीं हुआ।

इस प्रकार, संविदा शर्तों का सख्ती से पालन न करने के कारण सीपीडब्ल्यूडी ने अतिरिक्त व्यय किया तथा ठेकेदार को ₹0.56 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया।

मामला मंत्रालय को अक्तूबर 2016 में सूचित किया गया; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।